



## राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ

प्रोव्हिसेंस शासन, शिक्षण विभागाची अधिसूचना क्रमांक ५१३ दिनांक १ ऑगस्ट, १९२३ द्वारा स्थापित, व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६(सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६) द्वारा संचालित राज्य विद्यापीठ)

### महाविद्यालय विकास विभाग

छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासकीय परिसर, रविंद्रनाथ टागोर मार्ग, नागपूर-४४०००१ दुरध्वनी क्रमांक २५२९९३२ / २५२२३९०

### महाविद्यालयाच्या निरंतर संलग्निकरणाकरिता मुल्यांकन अहवाल

#### (गुणदान विवरण)

| महाविद्यालयाचे नाव | निर्धारित एकूण गुण | एकूण प्राप्त गुण   | शिफारस व कालावधी                                       |
|--------------------|--------------------|--|--|
| तविरा महाविद्यालय  | 200                | गट 'अ' व 'क' ते 'फ' : 130<br>गट 'ब' : 55<br>एकूण गुण : 185 | शिफारस - शिफारशीस पात्र आहे.<br>कालावधी - ३ वर्षाकरिता |

#### गट 'अ' (महाविद्यालयाची गुणवत्ता)

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण   | देय गुण | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|---|---------|----------|-------------|
| १)     | महाविद्यालयाचे गुणवत्ता मुल्यांकन (NAAC, किंवा NBA द्वारा झाले असल्यास) |         |          |             |
|        | A Grade or ७५ % Marks   | 10      | 10       | 7           |
|        | B Grade or ६० % Marks   | 07      |          |             |
|        | C Grade or ५० % Marks   | 05      |          |             |
|        | एकूण  |         | 10       | 07          |

#### गट 'ब' (मनुष्यबळ)

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण  | देय गुण                                   | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|--|---|----------|-------------|
| १)     | प्राचार्य नियमित (असल्यास)   | 15  | 15       | 15          |
|        | कार्यकारी प्राचार्य (असल्यास)  | 05  |          |             |
| २)     | शिक्षक   |   |          |             |
|        | कार्यभारानुसार पूर्णकालीन विद्यापीठ मान्यताप्राप्त कार्यरत शिक्षक (ग्रंथपाल सोडून) | ७५% ते १००%                               | 30       | 30          |
|        |  | ५०% ते ७४%                                | 20       |             |
|        |  | ५०% पेक्षा कमी शिक्षक असल्यास             | 10       |             |
|        |  | एकही नियमित मान्यताप्राप्त शिक्षक नसल्यास | 00       |             |

|                         |                         |                |    |    |    |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|
| ३) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | स्विकृत आकृती बंधानुसार | ७५% ते १००%    | 15 | 15 | 15 |
|                         |                         | ५०% ते ७४%     | 10 |    |    |
|                         |                         | ५०% पेक्षा कमी | 05 |    |    |
| एकुण                    |                         |                |    | 60 | 55 |

## गट 'क' (भौतिक सुविधा)

| अ.क्र.                  | गटनिहाय विवरण                              | देय गुण | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|-------------------------|--|---------|----------|-------------|
| १)                      | कार्यालय                                   | 02      | 02       | 02          |
|                         | (आवश्यक सोयीसह सुसज्ज)                     |         |          |             |
|                         | प्रशासकीय कार्यालय                         |         |          |             |
|                         | (आवश्यक सुविधांसह)                         |         |          |             |
|                         | फोन, फॅक्स,                                | 01      | 01       | 01          |
|                         | संगणक,                                     | 01      | 01       | 01          |
|                         | इंटरनेटसह महाविद्यालयाचे संकेतस्थळ         | 01      | 01       | 01          |
| २)                      | महाविद्यालय इमारत                          | 04      | 04       | 04          |
|                         | मालकीची असल्यास                            |         |          |             |
|                         | भाड्याची असल्यास                           | 02      |          |             |
|                         | सुसज्ज प्राध्यापक कक्ष                     | 02      | 02       | 02          |
|                         | विद्यार्थी कॉमन रूम                        |         |          |             |
|                         | (मुला मुलींकरिता स्वतंत्र आवश्यकतेप्रमाणे) | 02      | 02       | 02          |
|                         | पेय जल सुविधा                              | 01      | 01       | 01          |
|                         | स्वतंत्र प्रसाधन व्यवस्था                  |         |          |             |
|                         | शिक्षकांसाठी (पुरुष)                       | 01      | 01       | 01          |
|                         | शिक्षकांसाठी (महिला)                       | 01      | 01       | 01          |
|                         | कर्मचारी (पुरुष)                           | 01      | 01       | 01          |
|                         | कर्मचारी (महिला)                           | 01      | 01       | 01          |
|                         | मुलांसाठी                                  | 01      | 01       | 01          |
|                         | मुलींसाठी                                  | 01      | 01       | 01          |
|                         | वाहन तळ (सायकल, मोटार, स्कुटर इ.)          | 01      | 01       | 01          |
|                         | उपहार गृह                                  | 02      | 02       | 02          |
|                         | उद्यान                                     | 02      | 02       | 02          |
| प्रयोगशाळा व वर्गखोल्या |  | 10      | 10       | 08          |
| ३)                      | विषय निहाय शिक्षणाच्या                     |         |          |             |

|             |   |    |    |    |
|-------------|---|----|----|----|
| आवश्यक सोयी | सेमिनार हॉल   | 01 | 01 | 01 |
|             | ऑडीटोरियम   | 02 | 02 | 02 |
|             | इनडोअर गेम  | 02 | 02 | 02 |
|             | आऊटडोअर गेम   | 02 | 02 | 02 |
|             | युवा महोत्सव सहभाग (किमान २ चमु)                      | 02 | 02 | 02 |
|             | विद्यापीठ स्तरावरील स्पर्धेत सहभाग (क्रिडा सोडून)     | 03 | 03 | 03 |
|             | आंतर विद्यापीठ स्तरावरील स्पर्धेत सहभाग(क्रिडा सोडून) | 03 | 03 | 00 |
| एकुण        |   |    | 50 | 45 |

## गट 'ड' (ग्रंथालय सुविधा)

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण   | देय गुण                   | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|---|---------------------------|----------|-------------|
| १)     | स्वतंत्र ग्रंथालय   | 02                        | 02       | 02          |
| २)     | मान्यताप्राप्त ग्रंथपाल   | 03                        | 03       | 03          |
| ३)     | ग्रंथालयाच्या आवश्यक सुविधा   | 01                        | 01       | 01          |
|        | ग्रंथपाल कक्ष,  | 01                        | 01       | 01          |
|        | अग्निशमन व्यवस्था,  | 01                        | 01       | 01          |
|        | संगणक व्यवस्था,   | 01                        | 01       | 01          |
|        | इंटरनेट आणि   | 01                        | 01       | 01          |
|        | झेरॉक्स व्यवस्था  | 01                        | 01       | 01          |
| ४)     | NME ICT/INFLIBNET OR Similar Software   | 05                        | 05       | 05          |
| ५)     | ग्रंथ संख्या (विद्याशाखा निहाय)   | २००१ पेक्षा जास्त पुस्तके | 05       | 05          |
|        |   | १००१ ते २००० पुस्तके      | 03       |             |
|        |   | ५०० ते १००० पुस्तके       | 02       |             |
| ६)     | मासिके/पाक्षिके/जनरल्स(विषया संबंधित)   | (५ पेक्षा अधिक)           | 02       | 02          |
|        |   | (५ पेक्षा कमी)            | 00       |             |
| ७)     | महाविद्यालयीन वार्षिकांक  | 03                        | 03       | 03          |
| ८)     | महाविद्यालयीन माहितीपत्रक (प्रॉस्पेक्टस)  | 01                        | 01       | 01          |
| ९)     | वर्तमानपत्रे (इंग्रजी, मराठी, हिंदी) (किमान प्रत्येकी एक वर्तमानपत्र)             | 02                        | 02       | 02          |
| १०)    | वाचन कक्ष (एकूण विद्यार्थी संख्येच्या १०% विद्यार्थ्यांच्या वाचनाच्या व्यवस्थेसह) | 02                        | 02       | 02          |

## गट 'इ' (महाविद्यालयातील नियमित शिक्षकांचे योगदान)

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण   | देय गुण | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|---|---------|----------|-------------|
| १)     | कार्यरत संशोधन प्रकल्प  | 02      | 02       | 02          |
| २)     | प्रकाशित संशोधनपर लेख (किमान पाच वर्षनिहाय)   | 02      | 02       | 02          |
| ३)     | अभ्यासक्रम पुरक प्रकाशन (क्रमिक/संदर्भ ग्रंथ)   | 02      | 02       | 02          |
| ४)     | शिक्षकांचा सहभाग  |         |          |             |
|        | अ) विद्यापीठ परीक्षा (मुल्यांकन, नियमन)   | 02      | 02       | 02          |
|        | ब) परीक्षासंबंधी इतर कामे   | 01      | 01       | 01          |
|        | क) (परिषद/चर्चासत्र/कार्यशाळा/अधिवेशन/परिसंवाद या मधील सहभाग)                             |         |          |             |
|        | १. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभाग  | 03      | 03       | 03          |
|        | २. राष्ट्रीय सहभाग  | 03      | 03       | 03          |
|        | ३. राज्यस्तरीय/विद्यापीठस्तरीय सहभाग  | 02      | 02       | 02          |
| ५)     | महाविद्यालयीन शिक्षकांचा प्राधिकरणावरील सहभाग   | 02      | 02       | 02          |
| ६)     | महाविद्यालयाचा सर्व विद्याशाखांचा एकत्रित अंतीम वर्षाचा निकाल ५०% पेक्षा अधिक असल्यास     | 03      | 03       | 03          |
| ७)     | महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ परीक्षेत गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान प्राप्त केल्यास | 03      | 03       | 03          |
|        | एकुण  |         | 25       | 25          |

## गट 'ई' (सामाजिक योगदान)

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण  | देय गुण | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|--|---------|----------|-------------|
| १)     | अ) राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय छात्र सेना/प्रौढ शिक्षण व निरंतर विस्तार योजना | 02      | 02       | 02          |
|        | ब) राज्य/विद्यापीठ स्तरावर सहभाग   | 02      | 02       | 02          |
|        | क) राष्ट्रीय सहभाग   | 03      | 03       | 03          |
| २)     | इतर सुविधा   | 01      | 01       | 01          |
|        | आरोग्य सेवा,   | 01      | 01       | 01          |
|        | दुरुध्वनि सेवा,  | 01      | 01       | 01          |
|        | बँक सेवा,  | 01      | 01       | 01          |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| ग्राहक भांडार   | 01 | 01 | 00 |
| इतर वित्तीय सुविधा केंद्र   | 01 | 01 | 01 |
| अभ्यासोत्तर कार्यक्रम - समाज प्रबोधनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, चर्चासत्र | 02 | 02 | 02 |
| छात्रसंसद   | 01 | 01 | 00 |
| एकुण  |    | 15 | 13 |

## गट फ

| अ.क्र. | गटनिहाय विवरण  | देय गुण | कमाल गुण | प्राप्त गुण |
|--------|--|---------|----------|-------------|
| १)     | स्थानिय व्यवस्थापन समितीची सभा नियमित होत असल्यास.   | 02      | 02       | 02          |
| २)     | महाविद्यालय परिषद (College Council) समितीची सभा नियमित होत असल्यास                               | 02      | 02       | 02          |
| ३)     | मागील चौकशी समितीने केलेल्या सुचनांचे पालन ७५% पेक्षा अधिक केल्यास                               | 03      | 03       | 03          |
| ४)     | विद्यापीठ कायदा, अध्यादेश, परिनियम, नियम, निर्देश यांचे पालन महाविद्यालय काटेकोरपणे करित असल्यास | 03      | 03       | 03          |
|        | एकुण   |         | 10       | 10          |
|        | एकुण गुण   |         | 200      | 185         |

## स्थानिय चौकशी समितीची शिफारस

- महाविद्यालयाचे नांव : नबिरा महाविद्यालय
- २) निर्धारित एकुण गुण : 200
- ३) प्राप्त गुण (गटनिहाय) : गट 'अ' व 'क' ते 'फ' मध्ये प्राप्त एकुण गुण : 130  
गट 'ब' मध्ये प्राप्त गुण : 55
- ४) एकुण गुण : 185
- ५) शिफारस व कालावधी : शिफारस - शिफारशीस पात्र आहे.  
कालावधी - ३ वर्षाकरिता

स्वाक्षरीत

दिनांक: 06-01-2018

1 डॉ. एम. आर. पटले - (अध्यक्ष)

2 डॉ. एस. डी. तांबेकर - (सदस्य)

3 डॉ. (श्रीमती) एम. जे. बाहेती - (सदस्य)

4 डॉ. संजय टेकाडे - (सदस्य)

5 डॉ. रिनी द्विवेदी - (सदस्य)

\*\*\*\*\*

मुल्यांकनातील प्राप्त गुणांनुसार संलग्निकरणाचा कालावधी दर्शविणारा तक्ता

| मुल्यांकनातील प्राप्त गुण | महाविद्यालयाचा संलग्निकरणाचा कालावधी |
|---------------------------|--------------------------------------|
| १५१ ते २०० गुण            | ३ वर्षाकरिता                         |
| १२१ ते १५० गुण            | २ वर्षाकरिता                         |
| ७० ते १२० गुण             | १ वर्षाकरिता                         |
| ७० पेक्षा कमी गुण         | संलग्निकरणास पात्र नाही              |

१) गुणदान विवरणातील गट 'अ' व 'क' ते 'फ' गटातील एकत्रीत गुणांपैकी किमान ४० गुण महाविद्यालयाने प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. तसेच 'ब' गटाच्या कमाल

गुणांपैकी ५० टक्के गुण (३० गुण) प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.

२) ज्या महाविद्यालयाला वरील प्रमाणे किमान ७० गुण प्राप्त होणार नाही अशा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश गोठविल्या जातील.

३) वरीलप्रमाणे एखाद्या महाविद्यालयातील प्रवेश सलग पाच वर्षे गोठविण्यात आल्यास त्या महाविद्यालयाविरुद्ध असंलग्निकरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थानिय चौकशी समिती आपल्या अहवालाबरोबर वरील गुणदान विवरणाप्रमाणे मुल्यांकन करून गुण देतील आणि मुल्यांकनातील गुणांनुसार वर नमूद केलेल्या गटात प्राप्त गुण विचारात घेऊन निरंतर संलग्निकरणाचा कालावधीची शिफारस करेल. गुणदान विवरणाशिवाय स्थानिय चौकशी समित्यांचे अहवाल विचारात घेतले जाणार नाहीत.

आदेशान्वये

\*\*\*\*\*

महाविद्यालय विकास विभाग  
छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय परिसर, रविंद्रनाथ टागोर मार्ग, नागपूर - ४४०००१  
दुरध्वनी क्रमांक: ०७१२-२५२९९३२ फॅक्स नं: ०७१२-२५५५७०१, E-mail ID: infoarcollege@ymail.com

क्रमांक : क्र.म.वि.२५७  
दिनांक : ०२-१२-२०१७

|                                      |                |   |
|--------------------------------------|----------------|---|
| डॉ. एम. आर. पटले - अध्यक्ष           | ☎ : ९३७२७३६४४४ | धोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय, कुडवा रोड ता.- गोंदीया, जि.- गोंदिया- ४४१६१४   |
| डॉ. एस. डी. तांबेकर - सदस्य          | ☎ : ९४०५३५०६३१ | धोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय, कुडवा रोड ता.- गोंदीया, जि.- गोंदिया- ४४१६१४   |
| डॉ. (श्रीमती) एम. जे. बाहेती - सदस्य | ☎ : ८३०८३३९३९१ | हिस्लॉप महाविद्यालय, टेंपल रोड, सिव्हिल लाईन्स ता.- नागपूर शहर, जि.- नागपूर- ४४०००१                                   |
| डॉ. संजय टेकाडे - सदस्य              | ☎ : ९४२०२४९४०० | जवाहरलाल नेहरू कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, चरडे लेआऊट, अमरावती रोड, वाडी ता.- नागपूर शहर, जि.- नागपूर- ४४००२३ |
| डॉ. रिनी द्विवेदी - सदस्य            | ☎ : ९८२२९३४०८२ | श्री. शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय, काँग्रेस नगर ता.- नागपूर शहर, जि.- नागपूर- ४४००१२                                   |

विषय :- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम ११४ व ११५ अन्वये महाविद्यालयाला सत्र २०१८-१९ पासून संलग्निकरण वाढ देणे व संलग्निकरणाचा विस्तार करण्यासाठी स्थानिय चौकशी समितीची नियुक्ती.  
मास्टर ऑफ सायंस (मायक्रोबायोलॉजी), मास्टर ऑफ सायंस (गणित), मास्टर ऑफ सायंस (केमेस्ट्री), बॅचलर ऑफ सायंस, बी.ए., मास्टर ऑफ आर्ट्स (इतिहास), मास्टर ऑफ आर्ट्स (मराठी), मास्टर ऑफ आर्ट्स (इंग्लीश), बॅचलर ऑफ कॉमर्स, बॅचलर ऑफ बिजनेस अँडमिनीस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस अँडमिनीस्ट्रेशन या अभ्यासक्रमासाठी सत्र २०१८-१९ पासून संलग्निकरण कालावधी वाढविण्याबाबत.

महोदय/महोदया,

नविरा महाविद्यालय, धंतोली ता.- काटोल, जि.- नागपूर - ४४१३०२ या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी विद्यापीठाला सादर केलेल्या दिनांक ३०-१०-२०१७ रोजीच्या प्रस्तावानुसार महाविद्यालयाच्या संलग्निकरणाचा कालावधी सत्र २०१८-१९ पासून पुढे वाढविण्यासाठी/नविन अभ्यासक्रम/ विषयांना संलग्निकरण देण्यासाठी महाविद्यालयाची चौकशी करून संलग्निकरणाची शिफारस करण्याकरिता उपरोक्त स्थानिय चौकशी समिती विद्वत

च्या वतीने मा.कुलगुरूंनी गठीत केली आहे.

या समितीवर कार्य करून आपण विद्यापीठाला सहकार्य द्याल,असा मा.कुलगुरूंना विश्वास आहे. तथापी,आपण या समितीवर कार्य करण्याबाबत आपली स्विकृती सोबतच्या पत्राद्वारे यथाशिघ्र, खालील स्वाक्षरीत अधिकाऱ्याकडे कळवावी.

स्थानिय चौकशी समितीने महाविद्यालयाम भेट देतांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम १०८ मधील तरतुदीनुसार अटी व शर्तीची पूर्तता केली आहे किंवा नाही याची तपासणी करून विद्यापीठ निर्देश क्र. ८२/२०१६ मधील गुणदान तक्त्यानुसार स्थानिय चौकशी समितीने कार्यवाही करावयाची आहे. सदर निर्देशातील तरतुदीनुसार संलग्निकरणाबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया ही सत्र सुरू होण्यापुर्वी पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने समितीने महाविद्यालयाला १५ दिवसाचे आत भेट द्यावी व चौकशी समितीचा अहवाल भेटीच्या दिवशीच ऑनलाईन सादर करावा व त्याची प्रत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना स्वाक्षरी करून द्यावी. तसेच मा. अध्यक्षाना इतर सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह सदर अहवालाची हार्ड कॉपी भेटीनंतर तीन दिवसाचे आत महाविद्यालय विकास विभागाला सादर करावयाची आहे. जेणेकरून समितीचा अहवाल येणाऱ्या विद्वत परिषदेसमोर ठेवून संलग्निकरणाबाबतचा निर्णय महाविद्यालयाला शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापुर्वी कळविता येईल. समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना सुचित करण्यात येते की, समितीने वस्तुस्थितीशी विसंगत व चुकीचा अहवाल सादर केल्यास समितीच्या अध्यक्ष/सदस्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. याची कृपया नोंद घ्यावी.

विद्यापीठ निर्देश क्र. ८२/२०१६, गुणदान विवरण प्रपत्र व अहवालाचे प्रारूप सोबतच्या PDF File मध्ये पाठविण्यात आले आहे.

समितीच्या मा.अध्यक्षाना विनंती आहे की, त्यांनी हे पत्र प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसाचे आत महाविद्यालयाला भेट देण्यासाठी तारीख व वेळ महाविद्यालयीन शाखेला कळवावी, अध्यक्षकडून समितीची भेट निश्चित झाल्यावर संबंधित महाविद्यालय व समितीच्या सदस्यांना त्याबाबत कळविण्यात येईल किंवा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क करून परस्पर भेट निश्चित करून महाविद्यालयास भेट द्यावी.